

राजस्थान सरकार
सार्वजनिक निर्माण विभाग

जयपुर, दिनांक 27-SEP-2021

राजस्थान हुक्म नमिवादा: ७. १५, १५५५
राजस्थान, जयपुर
1-अनुभवा प्रयम/ए
2-पत्र प्राप्ति क्र. 755
3-दिनांक 28/09/21
4-समावली सं.
जयपुर, दिनांक 27-SEP-2021

क्रमांक : प. 1(42)सांनि/15(Rk-00124)

आदेश

राजस्थान अग्निशक्ति सेवायें (भवन एवं पथ) नियम, 1954 के नियम 24 के अन्तर्गत (श्री रवि शेखर पुरोहित (अनु.जाति), अधीक्षण अभियंता के प्रकरण में) गठित रिज्यू विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंका पर निम्नांकित अधिशापी अभियंता को इनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की तिथि से चरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

रिज्यू डी.पी.सी. 2015-16 :-

क्रमांक	नाम	रिक्ति की दिनांक
1	श्री जेठा राम जींगर (एस.सी.)	1.4.15
2	श्री रामधन बुनकर (एस.सी.)	1.4.15
3	श्री रामस्वरूप वैरवा (एस.सी.)	1.4.15
4	श्री संदीप माथुर	1.4.15
5	श्री सुबोध कुमार मलिक	1.4.15
6	श्री रविशेखर पुरोहित	1.4.15
7	श्री राकेश भंडारी	1.4.15
8	श्री मोहम्मद अफजल कादरी	25.5.15
9	श्री सुरेश कुमार मिश्रा	1.6.15
10	श्री डी.आर. श्रीवास्तव	1.6.15
11	श्री तारा चन्द गुप्ता	1.7.15
12	श्री सुनील जयसिंह	1.7.15
13	श्री जगदीश सांखला	1.8.15
14	श्री मुकेश चन्द भाटी	1.8.15
15	श्री सुधीर माथुर	1.9.15
16	श्री संजय भार्गव	1.10.15
17	श्री अशोक कुमार जैन पुत्र के.सी.	1.10.15
18	श्री सुनील राक्सैना	1.10.15
19	श्री विनोद कुमार सिंह	15.10.15
20	श्री सुधीर गर्ग	27.10.15
21	श्री राजय राक्सैना	1.2.16
22	श्री अविनाश शर्मा	1.2.16
23	श्री रमेश चन्द गीणा (एस.टी.)	1.3.16
24	श्री चन्दन सिंह गीणा (एस.टी.)	1.3.16

8/8

श्री राजेन्द्र कुमार जैन को सेवाभित्तय अनुपूर्ण ज्ञान के कारण इनका पदोन्नति का प्रकरण आस्थागत (Defen) किया जाता है। इनके विरुद्ध ए.पी.सी. अपरगन मख्या १६/२११६ भी विचारणीय है।

श्री हेमन्त कुमार शर्मा के विरुद्ध ए.पी.सी. अपरगन मख्या १२१/२५३२ में कानूनी न्यायालय द्वारा दिनांक १.३.१३ को प्रसजान लिय जान के कारण इनका अपरगन मख्या १६/२११६ में रखा जाता है।

श्री हरि सिंह शीणा (अनु.ज.जा.) को कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक २६.९.१३ द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि संवर्गी प्रभाव से एक जान के उपर म दीपदन क्रिये ज्ञान के कारण इन्हें पदोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं पाया।

रिव्यू डी.पी.सी. २०१६-१७ :-

क्रमांक	नाम	रिक्त की दिनांक
1	श्री विकारा दीक्षित	1.4.2016
2	श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल	1.4.2016
3	श्री दिनेश कुमार अग्रवाल	1.4.2016
4	श्री मन्वर अली	1.4.2016
5	श्री शिखर चन्द जैन	1.4.2016
6	श्री राधेश्याम अंवर	1.4.2016
7	श्री राकेश गुप्ता	1.4.2016
8	श्री सत्यप्रकाश विजय	1.4.2016
9	श्री रातेन्द्र कुमार	1.4.2016
10	श्री सुनील कुमार कालानी	1.4.2016
11	श्री विजय कुमार वर्मा	1.6.16
12	श्री सुनील गुप्ता	1.7.16
13	श्री सुरेन्द्र कुमार	1.7.16
14	श्री रविन्द्र कुमार जैन	1.7.16
15	श्री अचनीश कुमार जैन	1.8.16
16	श्री हरिकृष्ण	1.8.16
17	श्री राजकुमार सिंह चौधन	1.8.16
18	श्री सतीश शर्मा	1.10.16
19	श्री विश्वेश्वर लाल धनकड	1.10.16
20	श्री वंसात कुमार आचार्य	1.10.16
21	श्री चन्द्रमोहन राज माथुर	1.10.16
22	श्री अशोक जैन	1.10.16
23	श्री अशोक कुमार शर्मा	1.11.16
24	श्री अशोक कुमार गुप्ता पुत्र श्री जे. एन. गुप्ता	1.12.16
25	श्री कौशलेन्द्र भारद्वाज	1.2.17

DA

श्री राजेश मूंदडा के विरुद्ध अपराध संख्या 03/1995 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 11.8.11 को प्रसंज्ञान लिये जाने के कारण इनका चयन परिणाम बन्द लिफाफे में रखा गया है।

श्री संजीव जैन को कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 14.9.15 द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण इन्हें पदोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं पाया ।

रिव्यू डी.पी.सी. 2017-18 :-

क्रमांक	नाम	रिविज की उपलब्धता की दिनांक
1	श्री देवीलाल आर्य (अनु०जाति)	01.04.2017
2	श्री गुरनाम सिंह चौहान (अनु०जाति)	01.04.2017
3	श्री रामेश्वर लाल खटीक (अनु०जाति)	01.04.2017
4	श्री संजीव जैन	01.04.2017
5	श्री कपिल कुमार वर्मा	01.04.2017
6	श्री लक्ष्मी कुमार गुप्ता	01.04.2017
7	श्री लखवीर सिंह छाबड़ा	01.04.2017
8	श्री अशोक कुमार गुप्ता	01.04.2017
9	श्री दीपक सिंह चौहान	18.04.2017
10	श्री मनमोहन सिंघल	01.05.2017
11	श्री डी.पी. सोनी	09.05.2017
12	श्री निरजंन सिंह चौधरी	01.08.2017
13	श्री हरि सिंह राठौड़	01.08.2017
14	श्री मोहन श्याम	01.08.2017
15	श्री विरेन्द्र कुमार जैन	01.09.2017
16	श्री रामजी लाल जाट	01.09.2017
17	श्री सुरेश कुमार काबरा	01.10.2017
18	श्री अनिल कुमार	01.10.2017
19	श्री अनिल कुमार माथुर	01.10.2017
20	श्री नरेन्द्र कुमार जोशी	01.11.2017

श्री रामदासू तिवाडी के सेवा अभिलेख अपूर्ण होने के कारण इनके लिये एक पद रिक्त रखते हुए इनकी पदोन्नति का प्रकरण आस्थगित (Defer) किया जाता है।


आज्ञा से,



(ब्रिजेन्द्र सिंह परमार)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा.नि. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सा.नि. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. मुख्य अभियंता एवं अति. सचिव, सा.नि.वि. राजस्थान, जयपुर।
7. संबंधित अधिकारीगण।
8. रक्षित पत्रावली।


(राज्जन कुमार) 27/8/2021,
अनुभागाधिकारी


P.T.O

संयुक्त शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग के आदेश क्रमांक: प0 1 (42)सानि/15/(आरके-00124) दिनांक 27.09.2021 की प्रति वास्ते अधिशाषी अभियन्ता (सिविल) से अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर रिब्यू पदोन्नति वर्ष 2015-16 से 2017-18 के सम्बंध में

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: प0 7-2549(एसईसि)/अनु0प्रथम/ए/2021/प्रे0-755 दिनांक: 28.09.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सानिवि राज0, जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सानिवि, राज0, जयपुर ।
3. प्रबन्ध निदेशक, आर.एस.आर.डी.सी., जयपुर ।
4. मुख्य अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर ।
5. अति0 मुख्य अभियन्ता सा.नि.वि., संभाग, समस्त ।
6. अधिशाषी अभियन्ता, सानिवि विद्युत खण्ड, समस्त ।
7. निजी सचिव मुख्य अभियन्ता एवं अति0 सचिव/व0निजी सहायक मुख्य अभियन्ता पीएमजीएसवाई./क्यू.सी./एन.एच./भवन/विद्युत/वित्तीय सलाहकार /मुख्य वास्तुविद/अति0 मुख्य अभियन्ता (पीपीपी)/तकनीकी सहायक प्रथम/ अधीक्षण अभियन्ता (जांच) अधिशाषी अभियन्ता (मुख्यालय)/संयुक्त विधि परामर्शी ।
8. सम्बंधित अधिकारी ।
9. निजी /रक्षक पत्रावली



(आरिफ मोहम्मद खान)

अधीक्षण अभियन्ता एवं तक0 सहा0प्रथम
सार्वजनिक निर्माण विभाग राज0 जयपुर